राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

चैत्र 21, बुधवार, शाके 1940–अप्रेल 11, 2018
Chaitra 21, Wednesday, Saka 1940-April 11, 2018

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 11, 2018

संख्या प. 2 (22) विधि/2/2018 :–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 10 अप्रेल, 2018 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम, 2018

(2018 का अधिनियम संख्यांक 13)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 10 अप्रेल, 2018 को प्राप्त हुई]

राजस्थान राज्य में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के विकास और विस्तार के लिए इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड के गठन, चिकित्सा की उक्त पद्धति के व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए और उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक अन्य विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम, 2018 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. **परिभाषाएं.-** इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "बोर्ड" से इस अधिनियम के अधीन स्थापित और गठित राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "इलेक्ट्रोपैथी" से स्पेजाइरिकल कोहोबेशन (बार-बार आसवन) की विधि, जिसमें पादपों की जीवन शक्ति को सूक्ष्म, व्यापक स्वरूप में एकत्रित किया जाता है और जड़ी-बूटियों के अर्क को खोजा जाता है, द्वारा तैयार औषधियों द्वारा रोगों के इलाज पर आधारित उन्नीसवीं सदी में इटली के डॉ. काउंट सिसेर मतैई द्वारा स्थापित चिकित्सा पद्धति अभिप्रेत है;

(घ) "सदस्य" से बोर्ड का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसमें उसका अध्यक्ष सम्मिलित है;

(ङ) "व्यवसायी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति का व्यवसाय करता है;

(च) "मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता" से बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त इलेक्ट्रोपैथी की अर्हताओं में से कोई अर्हता अभिप्रेत है;

(छ) "रजिस्टर" से धारा 28 के अधीन संधारित इलेक्ट्रोपैथों का रजिस्टर अभिप्रेत है;

(ज) "रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रोपैथ" से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई इलेक्ट्रोपैथ व्यवसायी अभिप्रेत है;

(झ) "रजिस्ट्रार" से इस अधिनियम के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार अभिप्रेत है।

अध्याय 2

बोर्ड की स्थापना और गठन

3. **बोर्ड की स्थापना.-** (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इसके पश्चात् उपबंधित रीति से, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड स्थापित करेगी जिसका नाम राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड होगा।

(2) इस प्रकार स्थापित बोर्ड शाश्वत् उत्तराधिकार रखने वाला एक निगमित निकाय होगा जिसकी एक सामान्य मुहर होगी तथा वह अपने निगमित नाम से वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

4. बोर्ड का गठन.- बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

(क) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित चार व्यक्ति जिनमें कम से कम दो रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रोपैथ होंगे;

(ख) मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता रखने वाला एक व्यक्ति जो राजस्थान राज्य में मान्यताप्राप्त इलेक्ट्रोपैथी संस्थाओं के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित हो;

(ग) खण्ड (क) और (ख) के अधीन निर्वाचित और नामनिर्देशित बोर्ड के सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रोपैथी के क्षेत्र में से नाम निर्देशित दो विशेषज्ञ।

5. अध्यक्ष.- बोर्ड का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के सदस्यों में से नामनिर्देशित किया जायेगा।

6. सदस्यों की पदावधि.- (1) बोर्ड के किसी सदस्य की पदावधि उस तारीख से, जिसको धारा 4 के अधीन उसके नामनिर्देशन या, यथास्थिति, निर्वाचन के पश्चात्, बोर्ड की प्रथम बैठक आयोजित होती है, तीन वर्ष होगी:

परन्तु राज्य सरकार, समय-समय पर, ऐसी पदावधि को कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक की किसी कालावधि तक और बढ़ा सकेगी।

(2) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार यदि लोक हित में ऐसा करना उचित समझे तो, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी समय, बोर्ड के किसी सदस्य की सामान्य या बढ़ायी गयी पदावधि को समाप्त कर सकेगी।

(3) कोई पदमुक्त अध्यक्ष या सदस्य, यदि अन्यथा अर्हित हो पुनर्निर्वाचन या, यथास्थिति, पुनःनामनिर्देशन का पात्र होगा।

7. प्रथम बोर्ड का राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाना.- धारा 4 और धारा 5 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् गठित प्रथम बोर्ड के (अध्यक्ष सहित)

सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे और उसके गठन से तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे:

परन्तु राज्य सरकार, समय-समय पर, बोर्ड की पदावधि को कुल मिला कर एक वर्ष से अनधिक की किसी कालावधि के लिए और बढ़ा सकेगी।

8. पद-त्याग.- (1) अध्यक्ष से भिन्न कोई सदस्य, किसी भी समय, अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र उस तारीख से, जिसको अध्यक्ष द्वारा त्याग-पत्र स्वीकार किया जाता है, प्रभावी होगा।

(2) अध्यक्ष, किसी भी समय, राज्य सरकार को सम्बोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र उस तारीख से, जिसको राज्य सरकार द्वारा त्याग-पत्र स्वीकार किया जाता है, प्रभावी होगा।

9. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.- यदि बोर्ड के किसी सदस्य या अध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है या वह पद त्याग देता है या किसी भी कारण से इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपना पद खाली करता है या वहां से हटा दिया जाता है तो इस प्रकार हुई रिक्ति को ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर, जो विहित की जाये, नये नामनिर्देशन या, यथास्थिति, निर्वाचन द्वारा भरा जायेगा।

10. पद की रिक्ति.- यदि कोई सदस्य उस कालावधि के दौरान जिसके लिए वह नामनिर्देशित या निर्वाचित किया गया है,-

(क) स्वयं को बोर्ड की क्रमवर्ती तीन साधारण बैठकों में बिना कारण के अनुपस्थित रखता है, या

(ख) धारा 17 में वर्णित निरर्हताओं में से किसी के अध्यधीन हो जाता है,

तो बोर्ड उसके पद को रिक्त हुआ घोषित कर सकेगा:

परन्तु जब बोर्ड इस धारा के अधीन कार्रवाई करना प्रस्तावित करता है तो संबंधित सदस्य को स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जायेगा और जब ऐसी कार्रवाई की जाती है तो उसके कारणों को अभिलेख पर रखा जायेगा।

11. पद से हटाया जाना.- (1) राज्य सरकार ऐसे किसी अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकेगी जिसने, उसकी राय में, अपने पद का किसी भी रीति से इस प्रकार घोर दुरुपयोग किया है कि उसका बोर्ड में बना रहना लोक हित में अहितकारी हो गया है या जो अपने कर्तव्यों का पालन करने में अभ्यस्ततः विफल रहने का दोषी रहा है:

परन्तु जब राज्य सरकार इस धारा के अधीन कार्रवाई करना प्रस्तावित करती है तो वह अध्यक्ष या सदस्य को उसके ऐसे आचरण के बारे में स्पष्टीकरण देने का अवसर देगी जिसके कारण कि उसे हटाना प्रस्तावित किया गया है, ऐसी जांच करेगी जो वह आवश्यक समझे और ऐसी कार्रवाई करने की दशा में, उसके कारणों को अभिलेख पर रखेगी।

(2) राज्य सरकार ऐसे किसी सदस्य या अध्यक्ष को, जिसके विरुद्ध सदस्य या अध्यक्ष के रूप में उसके पद का दुरुपयोग करने संबंधी कोई जांच, उसके समक्ष या किसी न्यायालय में लम्बित है, या राज्य सरकार या बोर्ड के आदेशाधीन है, उक्त विधिक कार्यवाही या, यथास्थिति, जांच पर अंतिम आदेश पारित किये जाने तक निलम्बित कर सकेगी। ऐसा सदस्य या अध्यक्ष निलम्बन की कालावधि के दौरान बोर्ड की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेगा।

12. अध्यक्ष के कर्तव्य.- अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह-

(क) जब तक कि इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं किया जाये या युक्तियुक्त कारणों से निवारित नहीं किया जाये-

(i) बोर्ड की समस्त बैठकें आयोजित करे और उनकी अध्यक्षता करे, और

(ii) इस निमित्त बनाये जाने वाले किन्हीं भी विनियमों के अनुसार बोर्ड की समस्त बैठकों में कारबार के संव्यवहार का नियंत्रण करे;

(ख) बोर्ड के वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन का अधीक्षण और नियंत्रण करे तथा उसमें के किन्हीं दोषों की ओर उसका ध्यान दिलाये; और

(ग) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जिनकी उससे इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों द्वारा या अधीन अपेक्षा की गयी है या जो उस पर अधिरोपित किये गये हैं।

13. रिपोर्ट आदि की अपेक्षा करने की बोर्ड की शक्ति.- (1) बोर्ड, अध्यक्ष से, उसे-

(क) बोर्ड के प्रशासन से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में कोई विवरणी, विवरण, अनुमान, आंकड़े या अन्य सूचना;

(ख) ऐसे किसी भी मामले पर रिपोर्ट या स्पष्टीकरण; और

(ग) ऐसे किसी भी अभिलेख, पत्राचार, योजना या अन्य दस्तावेज, जो अध्यक्ष के रूप में उसके कब्जे में या नियंत्रणाधीन है या जो बोर्ड के किसी भी सेवक के कार्यालय में अभिलिखित या फाइल किया गया है, की प्रतिलिपि,

प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) अध्यक्ष उप-धारा (1) के अधीन की गयी प्रत्येक अपेक्षा का कोई अयुक्तियुक्त विलम्ब किये बिना अनुपालन करेगा।

14. अध्यक्ष द्वारा अपनी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन.- (1) अध्यक्ष, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, धारा 15 के अधीन निर्वाचित बोर्ड के किसी सदस्य को, अपने नियंत्रण के अधीन किसी एक या अधिक शक्तियों, कर्तव्यों या कृत्यों का प्रयोग करने हेतु सशक्त कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अध्यक्ष द्वारा किसी आदेश में ऐसे सदस्य द्वारा किसी शक्ति का प्रयोग, किसी कर्तव्य का पालन या किसी कृत्य का निर्वहन किये जाने के संबंध में, कोई भी शर्तें रखी जा सकेंगी और कोई भी निर्बंधन अधिरोपित किये जा सकेंगे।

(3) विशिष्ट रूप से ऐसे आदेश में यह शर्त रखी जा सकेगी कि उप-धारा (1) द्वारा उसको प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई भी आदेश, अध्यक्ष द्वारा, उसको किसी विनिर्दिष्ट समय के भीतर, अपील की जाने पर, विखण्डित या रुपान्तरित किया जा सकेगा।

15. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बोर्ड के कर्तव्य.- बोर्ड के सदस्यों द्वारा, उनमें से निर्वाचित कोई व्यक्ति-

(क) अध्यक्ष का पद रिक्त रहने के दौरान या अध्यक्ष की अक्षमता या अस्थायी अनुपस्थिति में, अध्यक्ष के किसी भी अन्य कर्तव्य का पालन या किसी भी अन्य शक्ति का प्रयोग करेगा; और

(ख) किसी भी समय, जब अवसर आये, धारा 14 के अधीन अध्यक्ष द्वारा उसको प्रत्यायोजित किसी भी कर्तव्य का पालन और शक्ति का प्रयोग करेगा।

16. निर्वाचन के व्यतिक्रम में सदस्यों का नामनिर्देशन.- यदि धारा 4 में निर्दिष्ट कोई निर्वाचक निकाय, ऐसी तारीख तक, जो विहित की जाये, किसी सदस्य का निर्वाचन करने या किसी रिक्ति को भरने में, विफल रहता है तो राज्य सरकार, बोर्ड की सिफारिश पर ऐसी रिक्ति ऐसे निर्वाचन निकाय द्वारा निर्वाचित किये जाने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति के नामनिर्देशन द्वारा भरेगी।

17. सदस्यता के लिए निरर्हताएं.- कोई व्यक्ति बोर्ड का सदस्य नामनिर्देशित या निर्वाचित किये जाने या होने के लिए निरर्हित होगा, यदि-

(क) वह किसी न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिए कारावास से दण्डित किया गया है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है या जो बोर्ड की राय में, चरित्र का ऐसा कोई दोष बताता है जिससे कि रजिस्टर में उसके नाम की प्रविष्टि या उसका उसमें बने रहना अवांछनीय बन जायेगा और दण्डादेश, बाद में अपील या पुनरीक्षण में उलट नहीं दिया गया है या ऐसे किसी आदेश द्वारा, जिसे करने के लिए राज्य सरकार, यदि वह उचित समझे, सशक्त है, परिहार नहीं किया जा चुका है;

(ख) बोर्ड ने जांच के पश्चात् (जिसमें ऐसे व्यक्ति को अपनी प्रतिरक्षा में या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई का अवसर दिया गया है) बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत

से, उसे उसकी वृत्ति के संबंध में, कुत्सित आचरण का दोषी पाया है;

(ग) वह अनुन्मोचित दिवालिया है;

(घ) उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त अधिनिर्णीत किया गया है;

(ङ) वह राज्य सरकार का या किसी स्थानीय प्राधिकारी का कोई पदच्युत सेवक है;

(च) उसे किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा विधि व्यवसायी के रूप में व्यवसाय करने से विवर्जित किया गया है;

(छ) वह बोर्ड के दान या निर्वर्तन के अंतर्गत कोई लाभ का स्थान धारण करता है;

(ज) विधि-व्यवसायी की हैसियत से, वह बोर्ड के विरुद्ध किसी वाद या कार्यवाही, सिविल या आपराधिक, में उपसंजात होता है; या

(झ) उसने बोर्ड के साथ या उसकी ओर से किसी संविदा में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, स्वयं या किसी भागीदार द्वारा कोई भी अंश या हित अर्जित किया है।

18. निर्वाचन आदि की अधिसूचना.- इस अधिनियम के अधीन निर्वाचित या नामनिर्देशित बोर्ड के प्रत्येक सदस्य या अध्यक्ष का और ऐसे प्रत्येक सदस्य या अध्यक्ष का नाम, जिसने धारा 8 के अधीन पद त्याग कर दिया है या धारा 10 के अधीन अपना पद रिक्त कर दिया है या धारा 11 के अधीन उसे हटा दिया गया है, राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा।

19. भत्तों का संदाय.- बोर्ड के सदस्यों को ऐसे यात्रा और दैनिक भत्ते संदत्त किये जायेंगे जो विहित किये जायें।

20. बोर्ड की बैठकें.- (1) बोर्ड की बैठक उसके जयपुर स्थित कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान में और ऐसे समय पर होगी, और प्रत्येक बैठक ऐसी रीति से आयोजित की जायेगी जो बोर्ड द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा उपबंधित की जाये।

(2) बोर्ड की किसी बैठक में, जब तक चार सदस्य उपस्थित न हों, कोई कार्य संव्यवहृत नहीं किया जायेगा।

21. बैठक का अध्यक्ष.- यदि किसी बैठक में अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को उक्त बैठक का अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे और ऐसा अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करते समय, बोर्ड के अध्यक्ष के समस्त कर्तव्यों का पालन करेगा और उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

22. बैठक के अध्यक्ष की व्यवस्था बनाये रखने की शक्ति.- जहां, बोर्ड की किसी बैठक में कोई सदस्य या अन्य व्यक्ति, किसी भी कार्य या मामले को नियम-बाह्य बताते हुए या सदस्यों या कार्य के आचरण को अन्यथा विनियमन करते हुए अध्यक्ष के किसी निदेश का अनुपालन करने से इंकार करता है या जहां कोई सदस्य या व्यक्ति जानबूझकर बैठक में विघ्न डालता है तो अध्यक्ष उस सदस्य या व्यक्ति से उक्त बैठक से वापस जाने की अपेक्षा कर सकेगा और उसके ऐसा करने में लोप करने की दशा में उसे बैठक से हटाने और अपवर्जित करने के प्रयोजन के लिए उसके विरुद्ध ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो आवश्यक हो या जिसके आवश्यक होने का वह सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो।

23. बोर्ड द्वारा विनिश्चय.- (1) इस अधिनियम में या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, समस्त प्रश्न, जो बोर्ड की बैठक के समक्ष आयें, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जायेंगे।

(2) मत बराबर होने की दशा में बैठक का अध्यक्ष दूसरा या निर्णायक मत दे सकेगा।

24. कार्यवृत पुस्तक और संकल्प.- (1) बोर्ड की किसी बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम और उसमें की गयी कार्यवाहियां और पारित किये गये संकल्प पुस्तिका में प्रविष्ट किये जायेंगे जिसे कार्यवृत पुस्तक कहा जायेगा।

(2) कार्यवृत बैठक में या उसकी ठीक अनुवर्ती बैठक में पढ़ कर सुनाया जायेगा और पढ़ कर सुनाये जाने के समय उपस्थित सदस्यों द्वारा या उनके बहुमत से उसके सही होने के रूप में पारित किये जाने के पश्चात् उस बैठक, जिसमें वह पारित किया गया है, के अध्यक्ष के हस्ताक्षरों से यथापारित प्रमाणित किया जायेगा।

(3) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों की प्रति बैठक की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर-भीतर, राज्य सरकार को या राज्य सरकार द्वारा इस निमित नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी को अग्रेषित की जायेगी।

25. सलाहकार समिति की स्थापना.- (1) बोर्ड, राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम में उपबंधित किसी प्रयोजन के लिए इस निमित संकल्प द्वारा सात व्यक्तियों से गठित सलाहकार समिति नियुक्त कर सकेगा जिसमें बोर्ड के तीन सदस्य होंगे और चार सहयोजित सदस्य होंगे तथा संयोजक नियुक्त कर सकेगा जो ऐसी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, संयोजक की अनुपस्थिति में समिति अपने सदस्यों में से किसी एक को इस प्रयोजन के लिए निर्वाचित कर सकेगी।

(2) समिति की बैठक में समस्त प्रश्न उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जायेंगे। मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का निर्णायक मत होगा।

(3) समिति की किसी बैठक में जब चार से कम सदस्य उपस्थित हों तो कोई कारबार संव्यहृत नहीं किया जायेगा।

(4) समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां बोर्ड के समक्ष रखी जायेंगी, जो उन पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे।

(5) सलाहकार समिति के सदस्यों को ऐसे यात्रा और अन्य भत्तों का संदाय किया जायेगा जो धारा 19 के अधीन बोर्ड के सदस्यों को संदेय हों।

26. कार्यवाहियों की विधिमान्यता.- (1) बोर्ड में या बोर्ड की किसी समिति में कोई भी रिक्ति बोर्ड या ऐसी समिति के किसी भी कार्य या कार्यवाहियों को दूषित नहीं करेगी।

(2) बोर्ड के सदस्यों के रूप में या अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति या किसी बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति की कोई निरर्हता या उसके निर्वाचन या नामनिर्देशन में कोई त्रुटि बोर्ड के किसी कार्य या कार्यवाही को, जिसमें ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, दूषित करने वाली नहीं समझी जायेगी।

अध्याय 3

कर्मचारिवृन्द और रजिस्ट्रीकरण

27. बोर्ड का रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी और सेवक.- (1) राज्य सरकार बोर्ड का रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी।

(2) रजिस्ट्रार बोर्ड का सचिव और कार्यकारी अधिकारी होगा।

(3) बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उतने अन्य अधिकारी और सेवक नियुक्त कर सकेगा जितने इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

(4) उप-धारा (3) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और सेवकों की संख्या, पदनाम, वेतन और भत्तों, भर्ती, पदोन्नतियों, छुट्टी, भविष्य-निधि और सेवा की अन्य शर्तों संबधी समस्त प्रश्न राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा शासित होंगे।

(5) इस धारा के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार और किसी भी अन्य अधिकारी या सेवक को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

28. रजिस्टर का संधारण.- (1) प्रथम बोर्ड, अपने गठन के डेढ़ वर्ष के भीतर इलेक्ट्रोपैथों का रजिस्टर तैयार करेगा।

(2) उक्त रजिस्टर बोर्ड द्वारा ऐसी रीति से रखा और संधारित किया जायेगा जो विहित की जाये।

29. रजिस्ट्रार के कर्तव्य.- (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन और राज्य सरकार या बोर्ड के किन्हीं भी सामान्य या विशेष आदेशों के अध्यधीन, रजिस्ट्रार का यह कर्तव्य होगा कि वह उक्त रजिस्टर रखे और उसे संधारित करे और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे, जिनका उससे इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन निर्वहन करना अपेक्षित है।

(2) रजिस्ट्रार, उक्त रजिस्टर को यथासाध्य शुद्ध और अद्यतन रखेगा और संधारित करेगा और समय-समय पर उसमें रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रोपैथों के पते या उनकी अर्हताओं में किन्हीं भी सारभूत परिवर्तनों

को प्रविष्ट करेगा। वह रजिस्टर में से ऐसे रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रोपैथों के नाम भी हटायेगा जिनकी मृत्यु हो जाये या जो उक्त रूप में अर्ह न रहें।

30. **रजिस्ट्रीकृत किये जाने के हकदार व्यक्ति**.- (1) मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हताएं रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन अपना नाम रजिस्टर में प्रविष्ट कराने का हकदार होगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन रजिस्ट्रार को किया जायेगा और उसके द्वारा निपटाया जायेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप में और रीति से और ऐसी रजिस्ट्रीकरण फीस के साथ किया जायेगा, जो बोर्ड द्वारा विहित की जाये।

(4) किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में रजिस्ट्रार के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय की तारीख से नब्बे दिवस या ऐसे बढ़ाये गये समय, जो बोर्ड पर्याप्त कारण से अनुज्ञात करे, के भीतर, बोर्ड को अपील कर सकेगा।

(5) ऐसी अपील बोर्ड द्वारा विहित रीति से सुनी और विनिश्चित की जायेगी।

(6) बोर्ड, स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर और संबंधित व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांगने और उस पर विचार करने के पश्चात् रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को रद्द या परिवर्तित कर सकेगा, यदि बोर्ड की राय में उक्त प्रविष्टि कपटपूर्वक या गलती से कर दी गयी है या अभिप्राप्त की गयी है।

31. **रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण**.- (1) प्रत्येक रजिस्टर्ड इलेक्ट्रोपैथ उस तारीख, जिसको उसका नाम रजिस्ट्रीकृत किया गया है, से तीन वर्ष की कालावधि के लिए चिकित्सा व्यवसाय करने का हकदार होगा और यदि वह उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात् चिकित्सा व्यवसाय करने का इच्छुक है तो वह प्रत्येक तीन वर्ष की कालावधि के लिए विहित नवीकरण फीस के साथ रजिस्ट्रार को आवेदन करने पर अपने नाम को रजिस्टर में बनाये रखने का हकदार होगा।

(2) यदि नवीकरण फीस नियत तारीख से पूर्व संदत्त नहीं की जाती है तो रजिस्ट्रार व्यतिक्रमी का नाम रजिस्टर में से हटा देगा:

परन्तु इस प्रकार हटाया गया नाम ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विहित की जाये, नवीकरण फीस का संदाय करने पर रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट किया जा सकेगा।

32. रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए उपाधि आदि को मान्यता प्रदान करने की बोर्ड की शक्ति.- यदि बोर्ड का समाधान हो जाता है कि भारत में या भारत के बाहर किसी विश्वविद्यालय, चिकित्सा संस्था, परीक्षण निकाय या अन्य संस्था द्वारा प्रदान की गयी कोई उपाधि या प्रमाणित अर्हता इसके लिए पर्याप्त प्रत्याभूति है कि ऐसी उपाधि, अर्हता रखने वाले व्यक्ति दक्षतापूर्वक इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए अपेक्षित ज्ञान और कौशल रखते हैं तो वह ऐसी उपाधि या अर्हता को मान्यता दे सकेगा।

33. बोर्ड की संस्थाओं से सूचना की अपेक्षा करने की शक्ति.- बोर्ड को मान्यताप्राप्त या मान्यता के इच्छुक किसी विश्वविद्यालय, चिकित्सा संस्था, परीक्षण निकाय या अन्य संस्था के शासी-निकाय या प्राधिकारी से-

(क) ऐसी रिपोर्ट, विवरणी या अन्य सूचना देने, जो बोर्ड, इलेक्ट्रोपैथी में दिये जाने वाले अनुदेशों की दक्षता के निर्वचन में उसे समर्थ बनाने के लिए अपेक्षा करे; और

(ख) बोर्ड के किसी सदस्य को, जो उसके द्वारा इस निमित्त प्रतिनियुक्त किया जाये, ऐसे विश्वविद्यालय, चिकित्सा संस्था, परीक्षण-निकाय या अन्य संस्था द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए समर्थ बनाने हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराने,

की अपेक्षा करने की शक्ति होगी।

34. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदकों से अपेक्षित सूचना.- प्रत्येक व्यक्ति को, जो रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट कराने के लिए आवेदन करता है, रजिस्ट्रार का यह समाधान करना होगा कि वह चिकित्सा अर्हता धारण करता है और उसे रजिस्ट्रार को ऐसी तारीख सूचित करनी होगी, जिसको उसने ऐसी अर्हता अभिप्राप्त की और इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए समर्थ बनाने हेतु रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना भी प्रस्तुत करेगा।

35. नयी उपाधियों और अर्हताओं की प्रविष्टि.- यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम रजिस्टर में प्रविष्ट है, ऐसी उपाधि या अर्हता, जिसके संबंध में वह रजिस्ट्रीकृत किया गया है, से भिन्न कोई उपाधि या अर्हता अभिप्राप्त करता है तो वह ऐसी फीस, जो विहित की जाये, संदत्त करने पर रजिस्टर में अपने नाम के सामने, या तो पहले की गयी किसी प्रविष्टि का प्रतिस्थापन करते हुए या उसमें परिवर्धन करते हुए, ऐसी अन्य उपाधि या अर्हता बताने वाली प्रविष्टि करवाने का हकदार होगा।

36. बोर्ड की रजिस्टर में प्रविष्टि प्रतिषिद्ध करने या उसमें से प्रविष्टि हटाने का निदेश देने की शक्ति.- (1) बोर्ड रजिस्टर में ऐसे किसी इलेक्ट्रोपैथ के नाम की प्रविष्टि प्रतिषिद्ध कर सकेगा या उसमें से उसे हटाने का आदेश दे सकेगा-

(क) जो भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए, जिसमें राज्य सरकार द्वारा ऐसी नैतिक अधमता अंतर्वलित होना घोषित किया गया है जो उक्त रजिस्टर में उसके नाम की प्रविष्टि को या उसमें उसका नाम बनाये रखने को अवांछनीय बना दे, कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है; या

(ख) जिसे बोर्ड या इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत बोर्ड की किसी समिति ने, जांच के पश्चात्, जिसमें उसे अपनी प्रतिरक्षा में सुनवाई का और स्वयं या परामर्शी के जरिये उपस्थित होने का अवसर दिया गया है और जो बोर्ड के स्वविवेकानुसार बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से वृत्तिक अवचार या अन्य कुत्सित आचरण का दोषी पाया है; या

(ग) जिसे बोर्ड या इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से गठित बोर्ड की समिति ने, जांच के पश्चात् और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, यह पाया है कि उसने कपटपूर्वक या मिथ्या या कूटरचित या गलत दस्तावेज द्वारा या दुर्व्यपदेशन के आधार पर या प्रवंचनापूर्ण उपयोग द्वारा और बेईमानी द्वारा रजिस्ट्रीकरण करवाया है।

(2) किसी व्यक्ति का नाम, जिसके विरुद्ध उप-धारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन आदेश किया गया है, ऐसे आदेश की तारीख से छह वर्ष पश्चात् रजिस्टर में प्रविष्ट या पुन:प्रविष्ट किया जायेगा।

37. मृत्यु का नोटिस और रजिस्टर से नामों का उद्धर्षण.- (1) प्रत्येक मृत्यु रजिस्ट्रार, जो ऐसे किसी व्यक्ति की मृत्यु का नोटिस प्राप्त करता है जिसका नाम वह जानता है कि रजिस्टर में प्रविष्ट है, ऐसी मृत्यु का अपने द्वारा हस्ताक्षरित, मृत्यु के समय और स्थान की विशिष्टियां देते हुए बोर्ड के रजिस्ट्रार को डाक द्वारा प्रमाण-पत्र तत्काल पारेषित करेगा।

(2) ऐसे प्रमाण-पत्र या ऐसी मृत्यु संबंधी अन्य विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर बोर्ड रजिस्टर में से मृत व्यक्ति का नाम हटा देगा।

38. रजिस्टर में प्रविष्ट किये गये नामों का प्रकाशन.- (1) रजिस्ट्रार प्रत्येक वर्ष और समय-समय पर, जैसे अवसर अपेक्षित करें, बोर्ड द्वारा इस निमित्त नियत की जाने वाली किसी तारीख को या उसके पूर्व राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से, जो बोर्ड विहित करे, रजिस्टर में तत्समय प्रविष्ट किये गये नामों की वर्ण क्रमानुसार एक पूरी या अनुपूरक सूची प्रकाशित करायेगा, जिसमें-

(क) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का जिसका नाम रजिस्टर में प्रविष्ट है, रजिस्ट्रीकृत पता और उसके द्वारा धारित नियुक्ति या वास्तविक नियोजन, और

(ख) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की रजिस्ट्रीकृत उपाधियां और अर्हताएं और ऐसी तारीख जिसको ऐसी प्रत्येक उपाधि प्रदान की गयी थी या अर्हता प्रमाणित की गयी थी,

उपवर्णित होगी:

परन्तु रजिस्ट्रार समय-समय पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रोपैथ के नाम, जिनके नाम इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन रजिस्टर में से सम्यक् रूप में हटाये जा चुके हैं, राजपत्र में प्रकाशित करवायेगा।

(2) किसी भी कार्यवाही में यह उपधारित किया जायेगा कि उक्त सूची में प्रविष्ट प्रत्येक व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रोपैथ है:

परन्तु ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसका नाम रजिस्टर में सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् प्रविष्ट किया गया है, रजिस्टर में उक्त

व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणित प्रति इस बात का साक्ष्य होगी कि ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और ऐसा प्रमाण-पत्र निःशुल्क जारी किया जायेगा।

अध्याय 4

बोर्ड के कृत्य और वित्त साधन

39. बोर्ड की शक्तियां.- बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

(i) इलेक्ट्रोपैथिक शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना और संबद्ध करना;

(ii) बोर्ड से संबद्ध संस्थाओं में इलेक्ट्रोपैथी की ऐसी शाखाओं में, जो बोर्ड विहित करे, सामान्य अनुदेश अथवा विशेष या पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या विहित करना;

(iii) परीक्षाएं करवाना, और ऐसे व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र मंजूर करना जो बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त किसी शैक्षिक संस्था में, जो बोर्ड उचित समझे, अध्ययनरत रहे हैं;

(iv) प्रदर्शनियां लगाना और उनमें पदक देना, ऐसे व्यक्तियों को छात्रवृत्ति और पदक मंजूर करना जो बोर्ड की परीक्षाओं में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं या जो निर्धन और योग्य हैं, और राज्य सरकार की स्वीकृति से किसी ऐसी चिकित्सा-संस्था या ख्यातिप्राप्त फर्म में, जिन्हें बोर्ड ठीक समझे, अनुसंधान कार्य में विशेष अध्ययन और इलेक्ट्रोपैथिक की औषधियों के विनिर्माण के लिए छात्रवृतियां प्रदान करना, और बोर्ड से संबद्ध संस्थाओं में इलेक्ट्रोपैथी संबंधी चेयरों के लिए विन्यास करना;

(v) विद्यार्थियों से ऐसी फीस की मांग करना और उसे प्राप्त करना जो बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेश पाने के लिए विहित की जाये;

(vi) बोर्ड से संबद्ध शैक्षिक संस्थाओं द्वारा किये गये आवास और अनुशासन संबंधी इंतजामों का सामान्य अधीक्षण

करना और उनके विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और साधारण कल्याण को प्रोन्नत करने के लिए ऐसे इंतजाम करना जो बोर्ड द्वारा विहित किये जायें;

(vii) परीक्षकों की नियुक्ति करना और अपने द्वारा ली गयी परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम प्रकाशित करना, जो बोर्ड विहित करे;

(viii) ऐसी किसी संस्था की मान्यता को निलम्बित या प्रत्याहृत करना जो इस अधिनियम या तदधीन विरचित नियमों या विनियमों द्वारा विहित शर्तों के अनुसार संचालित नहीं किया जाता है:

परन्तु ऐसी कोई भी कार्रवाई ऐसी शैक्षिक संस्था की समिति या प्रबंध को ऐसा अभ्यावेदन, जो वह ठीक समझे, करने का अवसर दिये बिना, नहीं की जायेगी;

(ix) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से राज्य में इलेक्ट्रोपैथिक औषधालयों, अस्पतालों और शैक्षिक संस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षक नियुक्त करना;

(x) इलेक्ट्रोपैथी विज्ञान में अध्ययन को प्रोन्नत करना और इलेक्ट्रोपैथिक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन करना;

(xi) राज्य में इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों के वैज्ञानिक विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए अनुसंधान संस्थाओं को स्थापित करना या अनुसंधान संस्थाओं को सहायता देना;

(xii) ऐसी इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों और उत्पादों के विनिर्माण का अनुज्ञापन, गुणवत्ता और नियंत्रण प्राधिकारी होना, जो बोर्ड द्वारा विहित किया जाये;

(xiii) ऐसे कार्य करना जो इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबंधों से असंगत न हों और जो इस अधिनियम के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हैं;

(xiv) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थायी या तदर्थ समितियों को, उनकी शक्तियों और अनुदेशों को प्रत्यायोजित करने के लिए, किसी निर्बंधन के अध्यधीन रहते

हुए, नियुक्त करना और ऐसी समितियों द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया अवधारित करने के लिए विनियम बनाना।

40. बजट.- (1) बोर्ड, प्रतिवर्ष होने वाली बैठक में ऐसी तारीख से पूर्व, जो विहित की जाये, ऐसी तारीख के ठीक पश्चात् आने वाली 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के वास्तविक और प्राक्कलित प्राप्तियों का पूर्ण लेखा, आगामी 1 अप्रेल से प्रारम्भ होने वाले वर्ष के लिए बोर्ड की आय और व्यय के बजट प्राक्कलन सहित, तैयार करायेगा और अपने समक्ष प्रस्तुत करायेगा।

(2) बोर्ड ऐसी बैठक में बजट प्राक्कलन में अंतर्विष्ट विनियोगों और मार्गोपायों पर विनिश्चयन करेगा और बजट पारित करेगा जो राज्य सरकार को या ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जिसका राज्य सरकार आदेश द्वारा निदेश दे ऐसी बैठक, जिसमें बजट पारित किया गया है, की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि उसमें इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त उपबंध नहीं किया गया है तो उसे ऐसे उपान्तरणों के सुझाव देने में, जो उक्त उपबंध किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों और उसमें किये जाने वाले उपान्तरणों के विषय में अपने संप्रेक्षणों सहित, बजट वापस करने की शक्ति प्राप्त होगी। बोर्ड उक्त संप्रेक्षणों पर विचार करेगा और बजट को ऐसे उपान्तरणों सहित, जो वह आवश्यक समझे, पारित करेगा।

(4) यदि किसी वर्ष के अनुक्रम में बोर्ड, बजट में इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अपनी प्राप्तियों या व्यय की जाने वाली रकमों के वितरण के संबंध में दर्शाये गये अंकों को उपान्तरित करना आवश्यक पाये तो उप-धारा (1), (2) और (3) में उपबंधित रीति से अनुपूरक बजट तैयार, पारित, प्रस्तुत और उपान्तरित किया जा सकेगा।

(5) प्रतिवर्ष प्रथम अक्टूबर के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, वर्ष का पुनरीक्षित बजट तैयार किया जायेगा और उक्त पुनरीक्षित बजट, यथाशक्य, पूर्वगामी उप-धाराओं के उन समस्त उपबंधों के अध्यधीन होगा, जो बजट पर लागू होते हैं।

41. इलेक्ट्रोपैथिक निधि.- (1) इलेक्ट्रोपैथिक निधि के नाम से एक निधि स्थापित की जायेगी जिसे इसमें इसके पश्चात् "निधि" कहा गया है।

(2) उक्त निधि में-

(क) राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान और उधार;

(ख) बोर्ड द्वारा इलेक्ट्रोपैथों के रजिस्ट्रीकरण और बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेश देने के मद्धे प्राप्त समस्त फीस;

(ग) किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी इलेक्ट्रोपैथिक संगम से प्राप्त अंशदान; और

(घ) बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से पूर्ववर्ती खण्डों में वर्णित स्रोतों से भिन्न स्रोतों से प्राप्त समस्त राशियां,

जमा की जायेंगी।

(3) उक्त निधि इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, उपयोजित की जायेगी।

(4) बोर्ड के खर्चों में रजिस्ट्रार और बोर्ड द्वारा नियुक्त कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते, बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को संदत्त फीसें और भत्ते, परीक्षाओं के संचालनार्थ खर्चे और ऐसे अन्य खर्चे, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु आवश्यक हैं, सम्मिलित होंगे।

42. लेखे और संपरीक्षा.- (1) बोर्ड ऐसे लेखे रखेगा और राज्य सरकार को ऐसे विवरण प्रस्तुत करेगा जो विहित किये जायें।

(2) बोर्ड की प्राप्तियां और व्यय के लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्ररूप में, जो विहित किये जायें, संधारित किये जायेंगे।

(3) बोर्ड द्वारा रखे गये और संधारित किये गये समस्त लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य के परीक्षक, स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा संपरीक्षित किये जायेंगे और राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 28) के उपबंध लागू होंगे।

(4) बोर्ड ऐसे समस्त निर्देशों का अनुपालन करने हेतु बाध्य होगा जो राज्य सरकार, उसके लेखों के संबंध में संपरीक्षा रिपोर्ट देखने के पश्चात् ज़ारी करना उचित समझे।

(5) बोर्ड निधि मे से ऐसी राशि संदत्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा संपरीक्षा प्रभारों के रूप में अवधारित की जाये।

अध्याय 5

इलेक्ट्रोपैथ के विशेषाधिकार

43. इलेक्ट्रोपैथ के विशेषाधिकार.- मान्यताप्रास चिकित्सीय अर्हता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा इलेक्ट्रोपैथ के व्यवसाय के संबंध में इस अधिनियम के अधीन अधिकथित शर्तों और निबंधनों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय प्रवृत्त रजिस्टर में रखा जाता है, राज्य के किसी भाग में, उसकी अर्हता के अनुसार इलेक्ट्रोपैथी का व्यवसाय करने के लिए हकदार होगा और ऐसे व्यवसाय के संबंध में विधि के सामान्य अनुक्रम में औषधि द्रव्यों या अन्य साधित्रों के लिए कोई व्यय या प्रभार, या कोई फीस, जिसके लिए वह हकदार हो, वसूल कर सकेगा किन्तु वह अपने नाम के साथ शब्द 'चिकित्सक' या 'चि.' का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

44. बोर्ड के विनिश्चयों की राज्य सरकार को अपील.- (1) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के प्रत्येक विनिश्चय की अपील राज्य सरकार को हो सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे विनिश्चय, जिसकी अपील की जानी है, की संसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर की जायेगी।

45. राज्य सरकार द्वारा बोर्ड का नियंत्रण.- यदि राज्य सरकार को किसी भी समय यह प्रतीत हो कि बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में विफल रहा है या उसका अधिलंघन या दुरुपयोग किया है या इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसे अधिरोपित किसी कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा है तो, राज्य

सरकार यदि यह समझे कि ऐसी विफलता, अधिलंघन या दुरुपयोग गंभीर प्रकृति का है, बोर्ड को उसकी विशिष्टियां अधिसूचित कर सकेगी और यदि बोर्ड ऐसी विफलता, अधिलंघन या दुरुपयोग का, ऐसे समय के भीतर, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियत किया जाये, उपचार करने में विफल रहता है तो राज्य सरकार, बोर्ड को विघटित कर सकेगी और बोर्ड की समस्त या उनमें से किन्ही भी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन ऐसे किसी प्रशासक या किसी अन्य एजेन्सी द्वारा और ऐसी कालावधि के लिए, जो वह उचित समझे, करवा सकेगी:

परन्तु ऐसे विघटन से डेढ़ वर्ष के भीतर-भीतर नये बोर्ड का गठन किया जायेगा।

46. रजिस्ट्रीकृत व्यपदिष्ट करने वाले अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए शास्ति.- यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं है, मिथ्या रूप से ऐसा दर्शित करता है कि वह इस प्रकार प्रविष्ट है या अपने नाम या उपाधि के साथ ऐसे कोई शब्द या अक्षर प्रयोग करता है जो यह व्यपदिष्ट करता हो कि उसका नाम इस प्रकार प्रविष्ट है, तो वह चाहे उक्त व्यपदेशन द्वारा कोई व्यक्ति वास्तव में प्रवंचित किया जाता है या नहीं, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

47. अप्राधिकृत व्यक्ति या संस्था द्वारा प्रमाणपत्र इत्यादि दिया जाना, प्रदान करना या जारी किया जाना.- (1) बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त किसी संस्था से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसा कोई प्रमाणपत्र या अन्य उपाधि या योग्यता, जिसमें यह कथन किया गया है या विवक्षित है कि उसका धारक, गृहीता या प्राप्तकर्ता, चिकित्सा की इलेक्ट्रोपैथी पद्धति का व्यवसाय करने हेतु अर्ह है, नहीं देगा, प्रदान नहीं करेगा या जारी नहीं करेगा या स्वयं को उसे दिये जाने, प्रदान किये जाने या जारी किये जाने करने का हकदार होने के रूप में व्यपदिष्ट नहीं करेगा।

(2) जो कोई इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करता है वह, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

48. प्रमाणपत्र इत्यादि की मिथ्या धारणा.- जो कोई अपने नाम के आगे स्वेच्छा से और मिथ्या रूप से कोई उपाधि, वर्णन या कोई परिवर्धन धारण करता है या उसका प्रयोग करता है जिससे यह विवक्षित होता है कि वह बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त किसी संस्था द्वारा दिया गया, प्रदान किया गया या जारी किया गया कोई प्रमाणपत्र या अन्य उपाधि या अर्हता धारित करता है या वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन चिकित्सा की इलेक्ट्रोपैथी पद्धति का व्यवसाय करने के लिए अर्ह है, तो वह दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

49. अधिनियम के उल्लंघन में व्यवसाय करने के लिए शास्ति.- यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्, रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रोपैथ से भिन्न कोई व्यक्ति, या तो सीधे ही या विवक्षित रूप से, चिकित्सा की इलेक्ट्रोपैथी पद्धति का व्यवसाय करता है या स्वयं को इस व्यवसाय को करने या व्यवसाय करने के लिए तैयार व्यक्ति के रूप में व्यपदिष्ट करता है तो वह दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

50. बोर्ड के अभिलेख के सबूत की रीति.- बोर्ड के कब्जे में की कार्यवाही की प्रति, रसीद, आवेदन, योजना, नोटिस, आदेश, किसी रजिस्टर या अन्य दस्तावेज में की प्रविष्टि, यदि रजिस्ट्रार द्वारा या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित हो तो वह प्रविष्टि या दस्तावेज प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी और उसके साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी और वह उसके और उसमें प्रत्येक मामले में अभिलिखित मामलों में जहां और उस सीमा तक साक्ष्यस्वरूप ग्रहण की जायेगी जैसे कि मूल प्रविष्टि या दस्तावेज यदि प्रस्तुत किया गया होता तो ऐसे मामले साबित करने हेतु ग्राह्य होता।

51. नियम.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बना सकेगी।

(2) विशेषतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार निम्नलिखित किन्हीं भी मामलों के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात्:-

(क) वह समय और स्थान जहां पर और वह रीति, जिससे धारा 4 के अधीन निर्वाचन किये जायेंगे;

(ख) इस अधिनियम के अधीन निर्वाचनों का विनियमन;

(ग) रजिस्ट्रार और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन तथा भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें;

(घ) बोर्ड की बैठकों के सही कार्यवृत्तों का संचालन और संधारण;

(ङ) ऐसी रीति जिससे धारा 9 के अधीन रिक्तियां भरी जायेंगी;

(च) बोर्ड द्वारा रखे जाने वाले लेखे और वह रीति जिससे उक्त लेखे संपरीक्षित और प्रकाशित किये जायेंगे;

(छ) वह तारीख जिसके पूर्व बजट पारित करने हेतु बैठक की जायेगी;

(ज) बजट को तैयार करने में अपनायी जाने वाली रीति और प्ररूप;

(झ) बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाली विवरणी, विवरण और रिपोर्ट;

(ञ) इस अधिनियम के अधीन संधार्य इलेक्ट्रोपैथ के रजिस्टर का प्ररूप;

(ट) इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य फीसें;

(ठ) वह रीति जिसमें रजिस्ट्रार के विनिश्चयों के विरुद्ध धारा 30 के अधीन बोर्ड द्वारा अपीलों की सुनवाई की जायेगी;

(ड) बोर्ड के सदस्यों तथा उसके अध्यक्ष को संदेय भत्ते;

(ढ) अध्यक्ष को संदत्त किया जाने वाला पारिश्रमिक;

(ण) अध्यापन या परीक्षण निकाय के रूप में बोर्ड के किसी उद्देश्य को अग्रसर करना;

(त) इलेक्ट्रोपैथों द्वारा विहित प्ररूप में रोगी रजिस्टर का संधारण;

(थ) राज्य सरकार और बोर्ड द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(द) धारा 39 के खण्ड (xii) के अधीन अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा मंजूर करने हेतु आवेदन का प्ररूप तथा उसमें भरी जाने वाली विशिष्टियां;

(ध) अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए, अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने के लिए शर्तें और उसके लिए संदेय फीस; और

(न) अधिनियम के किन्हीं अन्य उद्देश्यों को अग्रसर करना।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिवस से अन्यून की ऐसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की, समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे नियमों में से किसी नियम में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

52. **विनियम.-** इस अधिनियम के उपबन्धों और तदधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन बोर्ड, निम्नलिखित मामलों का विनियमन करने के लिए विनियम बना सकेगा, अर्थात्:-

(क) वह शर्तें जिन पर संस्थान को मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता मंजूर करने के प्रयोजन के लिए संबद्धता या मान्यता प्रदान की जा सकेगी;

(ख) बोर्ड से सम्बद्ध शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थाओं में छात्रों का प्रवेश;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को प्रमाणपत्र या अन्य पाठ्यक्रम में और बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेश दिया जायेगा और

वे प्रमाणपत्र और अन्य मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता के लिए पात्र होंगे;

(घ) बोर्ड से संबद्ध शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थाओं में छात्रों के निवास की शर्तें और ऐसे निवास के लिए फीस का उद्ग्रहण;

(ङ.) बोर्ड से संबद्ध शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थाओं के अध्यापकों की संख्या, अर्हताएं और परिलाभ;

(च) ऐसी संस्थाओं में पाठ्यक्रमों के लिए और परीक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रभार्य फीस;

(छ) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें और ढंग और उनके कर्तव्य तथा परीक्षाओं का संचालन;

(ज) वह समय और स्थान जहां बोर्ड की बैठकें की जायेंगी;

(झ) ऐसी बैठकों को आयोजित करने वाली सूचना जारी करना;

(ण) उक्त बैठकों में कार्य-संचालन;

(ट) बोर्ड की बैठक में सदस्यों द्वारा, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन, जैसे कि विनियमों में उपबन्धित किये जायें प्रश्न पूछा जाना;

(ड) ऐसे समस्त मामले जो इस अधिनियम के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(2) उप-धारा (1) के अधीन निर्मित समस्त विनियम राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।

53. वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियों पर रोक.- (1) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किसी कार्य के बारे में राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

(2) बोर्ड या बोर्ड के किसी सदस्य या बोर्ड के किसी अधिकारी या सेवक अथवा बोर्ड या बोर्ड के अध्यक्ष या किसी अधिकारी या सेवक के निर्देश के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन

विधिपूर्वक एवं सद्भावपूर्वक और युक्तियुक्त सतर्कता एवं ध्यान से की गयी किसी बात के लिए कोई वाद या विधिक कार्यवाही पोषणीय नहीं होगी।

54. व्यावृत्तियां.- जब तक कि इस अधिनियम के अधीन अभिव्यक्त रूप से या अन्यथा उपबंधित न हो, इस अधिनियम का कोई उपबंध, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी इलेक्ट्रोपैथ के सिवाय किसी चिकित्सा व्यवसायी पर प्रभावी नहीं होगा।

मनोज कुमार व्यास,
प्रमुख शासन सचिव।